बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष : 2284014
अध्यक्ष : ~~226623 (R)~~
महासचिव : 286865 (R), 224771 (O)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

उपाध्यक्ष
फिराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा
कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 223435 (R)

Truth will Triumph

पत्र संख्या 40

पटना
दिनांक 8-8-03

प्रेस विज्ञप्ति
==========

सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला कि " कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार नहीं है" सीधे कर्मचारी संगठनों के मामले में मौलिक अधिकार का हनन है । इस प्रकार के फसले से सरकार की निरंकुशता और भी बढ़ेगी, वरिष्ट नौकरशाह तानाशाह बनकर मनमानी करेंगे और कर्मचारियों के ऊपर तरह-तरह के जुल्म ढ़ाये जायेंगे, प्रोन्नति कभी नहीं मिल सकेगी, वेतन विसंगति कभी दूर नहीं होगी, सेवा शर्त्त एवं वरीयता का निर्धारण कभी नहीं हो पायेगा, सम्वर्गीय कठिनाइयों का निदान कभी नहीं होगा और सेवा निवृत्ति का लाभ तो दिवास्वप्न बनकर रह जायेगा । कर्मचारियों के ऊपर बगैर किसी दोष निर्धारण के प्राथमिकी दर्ज कर बेवजह तंग एवं परेशान करने के मामले में इजाफा होगा । आये दिन कर्मचारियों पर हो रहे प्रहार मारपीट की अशोभनीय घटना एवं हत्या के विरुद्ध कर्मचारी संगठन कोई आवाज बुलन्द नहीं कर पायेगा और परिणामस्वरूप कर्मचारी हर जुल्म और सितम को सहने के लिए बाध्य होंगे । इसलिए हमारी नजर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह ऐतिहासिक फ निर्णय अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है ।

सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश बहुत अधिक प्रासंगिक तब होता जब न्यायायिक प्रक्रिया जटिल, खर्चीली एवं टाइम टेकिंग नहीं होती । कर्मचारी के हितों की अनदेखी कर रहे सरकार से यह शपथपत्र ले लिया गया होता कि वेतन विसंगति, प्रोन्नति सहित सभी स्वीकृत जायज एवं निर्विवाद मांगों पर सरकार तुरत समय पर कारर्वाई करेगी । क्योंकि इन सभी मामलों पर सरकार एवं उनके आला अधिकारियों का रवैया किसी से छिपा नहीं है । इसलिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को कर्मचारियों का गला दबाकर हत्या करने से कम नहीं मानते हैं ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष :
अध्यक्ष : ~~225623~~ 2284014 (R)
महासचिव : 286865 (R), 224771 (O)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

उपाध्यक्ष
फिराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 223435 (R)

Truth will Triumph

पत्र संख्या ....

पटना

दिनांक..................

यह ऐतिहासिक फैसला देने से पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय को इस बिन्दु पर भी गहराई से ~~xxxxx~~ विचार करना चाहिए था कि अगर कर्मचारियों का हड़ताल देश और राज्य के हित में नहीं है तो क्या विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा किये जा रहे देश/राज्यव्यापी बन्द, रैली-रैला अथवा ~~xx~~ प्रदर्शन तथा विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा समय-कुसमय निकाले गये रोषपूर्ण हथियारों से लैस जुलूस क्या राज्य अथवा जनता के हित में है । क्या इस प्रकार की कारवाई से जन जीवन अस्त-व्यस्त नहीं होता है ? प्रशासनिक तंत्र क्या कमजोर नहीं होता है और लोगों की कठिनाइयाँ कितनी बढ़ जाती है इसका भी अन्दाजा तो माननीय न्यायालय को है हीं ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बिन्दु पर भी विचार करना चाहिए था कि जब न्यायपालिका अपनी सुविधा के लिए आवश्यकतानुसार वेतन, सेवा की उम्र सीमा तथा अन्य सुविधा शर्त्तों का निर्धारण स्वयं करे, विधायिका वेतन सहित सभी सुविधा का निर्धारण स्वयं करे, उच्चतम सेवा में कार्यरत नौकरशाह को विशिष्टता देकर हर स्तरों पर सुविधाभोगी बना दिया जाय तो कार्यपालिका के अभिन्न अंग रहते हुए भी अपनी उन तमाम कठिनाइयों के लिए फरियाद लेकर कर्मचारी कब, कहाँ और किसके पास जाय । विलम्बित न्याय प्रक्रिया से सेवा में अथवा जीवित रहते न्याय पाना कठिन एवं दुर्लभ है तो संगठन कहाँ जाय, क्या करे ? कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं चाहता है, बातचीत के जब सभी रास्ते बन्द हो जाते हैं तो हड़ताल उनका अंतिम अस्त्र होता है, लेकिन इसे अवैध करार दिये जाने से कर्मचारियों का मनोबल पूर्णरूपेण टूट जायेगा और प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जायेगी क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हड़ताल मजबूर लोगों के द्वारा मजबूरी में उठाया गया अंतिम कदम होता है ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

दूरभाष : 224014
अध्यक्ष : ~~226823~~ (R)
महासचिव : 286865 (R)
224771 (O)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

उपाध्यक्ष
फिराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
सुरेन्द्र राय
दूरभाष : 223435 (R)

Truth will Triumph

॥3॥

पत्र संख्या .....

पटना

दिनांक.....

हम अपनी बात सर्वोच्च न्यायालय में मिडिया के माध्यम से विनम्रतापूर्वक रखने के लिए मजबूर हैं और अनुरोध करते हैं कि इस आदेश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार करे । आवश्यकता इस बात की भी है कि देश के तमाम कर्मचारी संघ/संगठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का शालीनतापूर्वक संगठित होकर समय पर संघर्ष की घोषना करे ।

॥डब्लू०एन०सिंह॥
उपाध्यक्ष।
अखिल भारतीय असैनिक प्रशासनिक सेवा
महासंघ, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 40 पटना, दिनांक 8-8-03

प्रतिलिपि- निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन, पटना/ब्यूरो चीफ, यू०एन० आई०/पी०टी०आई०/ समाचार सम्पादक, सभी हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों को प्रसारण एवं प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

॥डब्लू०एन०सिंह॥
अध्यक्ष
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ